

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 17-11-15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल,  
मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निग0 3700-एक/15 विरुद्ध आदेश  
दिनांक 18-5-2015 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण क्रमांक  
273/अ-21/2013-14.

जगदीश गौड़ पिता भद्रू गौड़  
निवासी मकान नं0 26 ग्राम खुरसी  
पोस्ट सगड़ा झपनी  
तहसील व जिला जबलपुर

विरुद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा  
कलेक्टर, जिला जबलपुर

----- अपीलार्थी

----- उत्तरवादी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक अपील 3700-एक/15

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
17-11-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह अपील कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 273/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 18-5-15 से परिवेदित म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 44 के तहत पेश की गई है।</p> <p>2- अपीलार्थी की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि वह ग्राम सरौरा प. ह.नं. 55/86 रा.नि.मं. खमरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 250 रकबा 1.110 हैक्टर का भूमिस्वामी है। इस भूमि के अतिरिक्त आवेदक के स्वयं के नाम ग्राम चारघाट में 0.180 हैक्टर तथा ग्राम खुरसी में 3.29 हैक्टर शामिल खाली खाली की भूमि है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि कम उपजाऊ होने, एवं शेष बच रही भूमि को उन्नत बनाने आदि से ग्राम सरौरा की भूमि खसरा नं. 250 रकबा 1.110 हैक्टर के विक्रय करने की अनुमति हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन दिया था। कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदन पर एस.डी.ओ. से जांच प्रतिवेदन चाहा गया। एस.डी.ओ. द्वारा तहसीलदार से जांच कराकर अनुशांसा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया किंतु कलेक्टर ने यह मानकर कि आवेदक पर नोटिस तामील था फिर भी अनुपस्थित रहा है, प्रकरण खरिज कर दिया है जबकि उस पर विधिवत कोई नोटिस तामील नहीं हुआ है।</p> <p>यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में उक्त भूमि छत्तरसिंह पटेल को विक्रय किये जाने का अनुबंध किया गया था परंतु छत्तर सिंह अब आर्थिक तंगी के कारण भूमि क्य नहीं कर है इस कारण आवेदक अब अन्य क्रेता श्री मनीष कुमार साहू पिता श्री विष्णुप्रसाद साहू को उक्त भूमि विक्रय करना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि क्रेता उसे वर्तमान बाजार मूल्य से विक्रय प्रतिफल देने को तैयार है जिससे उसे पूर्व अधिक मूल्य प्राप्त होगा। उक्त आधारों पर उनके द्वारा प्ररनाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया।</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>3- अनावेदक म०प्र० शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है । उनके द्वारा यह कहा गया चूंकि आवेदक ने कलेक्टर न्यायालय के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां पेश की हैं अतः प्रकरण का निराकरण इसी स्तर पर करते हुए आवेदक की निगरानी निरस्त की जाये ।</p> <p>4- उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थी की कय की हुई भूमि है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । तथा तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि विक्रय के पश्चात अपीलार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी को उचित बाजार मूल्य प्राप्त हो रहा है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ की गई कार्यवाही को इस आधार पर समाप्त किया है कि आवेदक को नोटिस तामी था फिर भी वह अनुपस्थित रहा है, जो सूचनापत्र है उसके आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करना न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । क्योंकि उक्त सूचनापत्र अपीलार्थी पर तामील हुआ है इसका कोई उल्लेख सूचनापत्र में नहीं है बल्कि नोटिस की एक प्रति केता को तामील किए जाने का उल्लेख है ऐसी स्थिति में उक्त सूचनापत्र की तामीली अपीलार्थी पर की जाना मानते हुए प्रकरण खारिज करना न्यायिक प्रतीत नहीं होता है । । प्रकरण में चूंकि तहसीलदार एवं एस.डी.ओ. द्वारा जांच उपरांत अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को देखते हुए कि केता अब उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से कीमत दे रहा है, इससे आवेदक को पूर्व से अधिक कीमत प्राप्त होगी । ऐसी स्थिति में उसे प्रश्नाधीन भूमि की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों का हनन नहीं होगा । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम सरौरा प.ह.नं. 55/86 रा.नि.मं. खमरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 250 रकबा 1.110 हेक्टर को श्री मनीश कुमार साहू पिता श्री विष्णु प्रसाद साहू निवासी मकान नंबर 271 अमखेरा जागृति नगर</p>	




XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, भ्वालयर

प्रकरण क्रमांक - निग0 3700-एक/15

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>Far</p>	<p>तहसील पनागर जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।</li> <li>2- क्रेता द्वारा विक्रयपत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विक्रेता अपीलार्थी के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा ।</li> <li>3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयवधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।</li> </ol> <p>निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;">   सदस्य </p>	